न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
61/08	दावा	06.08.2008	01.11.17

1. रामफूल।
2. ठण्डी ।
3. कल्लू ।
4. मूड़या ।

पिसरान रंगलाल जाति मीना निवासी काचरौदा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र गजबी उम्र 50 साल।
2. ब्रम्हसिह पुत्र महेन्द्र उम्र 22 साल।
3. रुकम पुत्र महेन्द्र उम्र 20 साल।

सभी जाति मीना निवासी काचरौदा तह0 सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा व दखल

उपस्थितः– श्री नेमीचंद गर्ग एड0 वकील वादीगण।
श्री कुंजबिहारी शर्मा एड0 वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादीगण इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 661 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम काचरौदा तहसील सपोटरा जो कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है, जिससे दीगर किसी का कोई सम्बन्ध नही है। जिसको वादीगण ही काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण सहजोर व लड़ाकू व्यक्ति है जिन्होने ताकत के बल पर दिनांक 13.07.2008 को उक्त आराजी मे गोबर व इंधन डालना शुरू कर दिया है। प्रतिवादीगण वादीगण को काश्त करने मे अवरोध पैदा करते है। दिनांक 13.07.2008 को जब वादीगण द्वारा उक्त आराजी मे गोबर डालने से मना किया तो प्रतिवादीगण वादीगण को मारने पर आमादा हो गये। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 2, 3 बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये इसलिए इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये वकील अपना जवाबदावा पेश कर कथन किया कि उक्त आराजी लगभग 30 वर्ष पूर्व से मिन प्रतिवादी के कब्जे मे चली आ रही है। जिसमे मिन प्रतिवादी का मकान, बड़ा इत्यादि बने हुए है। तथा मिन प्रतिवादी रिहायश किये हुआ है। उक्त आराजी के सम्बन्ध मे वादीगण द्वारा सन् 1997 मे भी विवाद उत्पन्न किया गया जो विवाद पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 25.04.1997 को निस्तारित किया गया जिसके प्रमाण मे पक्षकारान के मध्य एक तहरीर निस्पादन की गयी। उक्त तहरीर मे वादीगण ने उक्त आराजी को बसावट (आबादी) मे होना स्वीकार कर प्रतिवादी के हिस्से व कब्जे मे होना स्वीकार कर एवं तहरीर पर अपने हस्ताक्षर व गवाहान की गवाहियां कराकर प्रतिवादी को सौंप दी। उक्त तहरीर की लिखावट परमानंद शर्मा द्वारा की गयी थी। प्रतिवादी का विवादित आराजी पर मुखालफाना कब्जा है जिसे 12 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। वादीगण शुद्धहस्त न्यायालय नही आया है, वादीगण ने न्यायालय श्रीमान् से तथ्यों को छिपाकर दावा दायर किया है जो खारिज होने योग्य है।

वाद तथ्य, जवाबदावा एवं पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर पांच तनकीयात कायम की गई। वकील वादीगण ने साक्ष्य मे वादी नं01 रामफूल का शपथ पत्र पेश किया जिससे जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वकील वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी ग्रम काचरौदा सम्बत् 2062–65 पेश की है। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य मे प्रतिवादी सं0 1 का शपथ पत्र पेश किया है

तक आंशिक रूप से तय की जाती है।

2. **आया वादी की उक्त आराजी मे जबरन गोबर इंधन डालना शुरू कर दिया है जिससे बेदखल कर वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है?** इस तनकी को भी साबित करने का भार वादीगण पर है। हलका पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी के आस पास आबादी बसी हुई है तथा विवादित आराजी का उपयोग भी आबादी हेतु किया जा रहा है। मौके पर पाटोर डालकर भूमि पशुओं के बाड़े के रूप मे कई वर्षो से काम मे ली जा रही है। वादीगण ने अपने वाद पत्र एवं बयानों के भी यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर पर पशु बाड़ा बनाकर काम मे ले रहे है। वादी सं0 2 से 4 ने साक्ष्य मे कोई बयान दर्ज नही कराये है तथा ना ही कोई साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये है। वादीगण की ओर से ऐसा कोई स्वतंत्र गवाह पेश नही किया गया है तथा ना ही कोई ऐसा लिखित साक्ष्य पेश किया है जिससे यह साबित होता है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण की उक्त विवादित आराजी पर जोर जबरदस्ती कब्जा करके पशु बाड़ा बनाया हो। वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व जबरदस्ती कब्जे की कोई एफआईआर भी पुलिस थाने मे दर्ज नही कराई है तथा ना ही कोई गवाह पेश किया है जो इस बात को तस्दीक कर सके कि उक्त भूमि पर कब्जे को लेकर वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच कोई मतभेद या लड़ाई झगड़ा हुआ हो। इसलिए यह तनकी वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

3. **आया विवादित आराजी के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न न करने के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के अधिकारी है?** इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। जैसाकि तनकी नं0 2 से साबित हो चुका है कि विवादित भूमि पर मौके पर पाटोर डालकर भूमि पशुओं के बाड़े के रूप में कई वर्षो से काम मे ली जा रही है। विवादित भूमि के चारों तरफ आबादी है। इसलिए जब वादीगण विवादित भूमि पर फसल काश्त ही नही कर रहा है तो वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्व कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी भी नही है। अतः यह तनकी भी विरूद्व वादीगण तय की जाती है।

4. **आया आराजी विवादित आबादी है जिस पर वादी का कब्जा नही है वादी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नही है?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। पटवारी हलका की मौका रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा नही है इस बात को वादीगण ने अपने वाद तथ्य मे भी स्वीकार किया है, विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी नकल सम्बत् 2064 मे आबादी के काम मे आ रही है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे विरूद्व वादीगण तय की जाती है।

5. **आया दावा सुनवाई का इस अदालत को क्षैत्राधिकार नही है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण को है।** मुताबिक जमाबंदी ग्राम काचरौदा सम्बत् 2062-65 मे विवादित आराजी आबादी दर्ज नही हैं। इसलिए दावा को सुनवाई का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

6. **अनुतोषः-** उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीगण का वाद पत्र ठोस आधारों पर आधारित नही है वादीगण के नाम नाम पर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की सहमति ये ही कब्जा करके पशु बाड़ा बनाकर वर्षो से आबादी के काम मे लिया जा रहा है। इसलिए वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्व बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। दावा वादीगण खारिज होने योग्य है।

अतः दावा वादीगण खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 01.11.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

(राजपाल यादव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली